

शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए के लिए आवेदन पत्र वर्ष 2021-22

छात्रा का
फोटो

छात्रा की छात्रवृत्ति यूनीक आई.डी.....
(पूर्ति संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

1	विद्यालय का नाम	
2	छात्रा का नाम	
3	छात्रा की माता का नाम	
4	छात्रा के पिता का नाम	
5	संरक्षक का नाम(माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में)	
6	माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक व क्रमांक	
7	छात्रा की जन्म तिथि (अंको एवं शब्दों में)	
8	कक्षा एवं सेक्शन जिसमें अध्ययनरत है	
9	छात्रा का विद्यालय में प्रवेश दिनांक एवं एस.आर. नम्बर	
10	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता(तृतीय किष्क के अलावा उत्तरवर्ति किष्कों के लिए)	
11	अभिभावक/संरक्षक के मोबाइल नम्बर	
12	जाति वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक/एमबीसी)	
13	धर्म	
14	छात्रा का आधार नम्बर/एनरोलमेंट नम्बर	
15	जन आधार नम्बर/एकनोलेजमेंट नम्बर	
16	स्थायी पता	

नोट :- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में का निशान अंकित करें।

क्रम सं.	योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1	Pregnancy Child Tracking and Health Service Management SystemID (PCTSID)	
2	दो संतानों संबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (अभिभावक/संरक्षक)	
3	जन आधार कार्ड (अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति)	
4	माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति	

अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर

जांचकर्ता/कक्षा अध्यापक

संस्था प्रधान के हस्ताक्षरमय मोहर